



भारतीय मानक ब्यूरो

लाइसेंसियों को नोटिस

भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी उत्पादन प्रमाणन योजना को ऑनलाइन सिस्टम पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। इस सिस्टम पर सहज परिवर्तन के लिए सभी लाइसेंसियों को अपनी वैध एवं प्रभावी ई-मेल आईडी सहित दिनांक 10 मार्च 2016 तक भारतीय मानक ब्यूरो पोर्टल (www.manakonline.in) पर पंजीकरण कराने के लिए लिखित सूचना भेजी गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो वेबसाइट (www.bis.gov.in) पर एक एडवाइजरी भी होस्ट की गई है।

कुछ लाइसेंसियों ने अभी तक भी भारतीय मानक ब्यूरो पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है।

अब, इसके लिए, सक्षम प्राधिकारी, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 28, भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उप-विनियम (3) के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है कि 31 मार्च 2016 से भारतीय मानक ब्यूरो पोर्टल पर पंजीकरण कराना लाइसेंस की शर्तों एवं निबंधनों में से एक होगी।

अतः सभी लाइसेंसियों को निर्देश दिया जाता है कि वे बिना चूक किये भारतीय मानक ब्यूरो पोर्टल पर पंजीकरण करायें। यदि 31 मई 2016 के बाद यह पाया गया कि किसी लाइसेंसी ने भारतीय मानक ब्यूरो पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया तो इसे लाइसेंस की शर्तों और निबंधनों का जानबूझकर उल्लंघन करना माना जायेगा और लाइसेंसी के विरुद्ध यथा-उपयुक्त कार्यवाही की शुरुआत की जायेगी।

लाइसेंसियों को आगाह किया जाता है कि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान किन्हीं भी महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया या जानबूझकर गलत जानकारी देने पर परिणामतः अन्य कानूनी-कार्यवाहियों के अतिरिक्त लाइसेंस या आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

(सी.के. माहेश्वरी)

वैज्ञा. जी एवं उपमहानिदेशक

(प्रमाणन)

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

NOTICE TO LICENSEES

Bureau of Indian Standards has decided to shift to an online system for its Product Certificate Scheme. For smooth transition to this system, written advice was sent to all licensees to register on the BIS portal (www.manakonline.in) by 10 March 2016 with valid and effective e-mail IDs. An advisory is also hosted on the BIS website (www.bis.gov.in).

Some of the licensees have still not registered on the BIS portal.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Section 28 of the BIS Act, 1986, read with sub-regulation (3) of regulation 4 of the BIS (Certification) Regulations, 1988, the Competent Authority has **decided that on and from 31 May 2016, registration on the BIS portal shall be one of the terms and conditions of the licence.**

All the licensees are therefore instructed to register on the BIS portal without fail. In case it is detected after 31 May 2016 that any licensee has not registered on the BIS portal, the same shall be deemed to be a wilful violation of the terms and conditions of the licence and action, as appropriate, shall be initiated against the licensees.

The licensees are also cautioned that suppression of any material fact or wilful submission of wrong information during the registration process may result in cancellation of licence or rejection of application, apart from other actions as per law.

(C.K. Maheshwari)
Sc. G & DDG (Certification)
Bureau of Indian Standards
New Delhi

davp 08103/11/0005/1617

